"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 सितम्बर 2016—भाद्र 11, शक 1938

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सावंत राम बांधे (Savant Ram Bandhey) आत्मज स्व. भैया राम बांधे, निवासी- लिली 163, ब्लाक-अ, तालपुरी, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे एच आर सी एस पी एच सी एल (सी एस ई बी) डंगनिया, रायपुर के अभिलेखों में मेरा नाम त्रुटिवश सांवत राम बांधे (Sanwat Ram Bandhey) अंकित हो गया है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम सावंत राम बांधे (Savant Ram Bandhey) रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे सांवत राम बांधे आत्मज स्व. भैया राम बांधे के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
सांवत राम बांधेय (Sanwat Ram Bandhey) आत्मज- स्व. भैया राम बांधेय निवासी- लिली 163, ब्लाक-अ, तालपुरी, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	सावंत राम बांधे (Savant Ram Bandhey) आत्मज- स्व. भैया राम बांधे निवासी- लिली 163, ब्लाक-अ, तालपुरी, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, घासीराम साहू आत्मज स्व. चतुरभुज साहू, उम्र 70 वर्ष, निवासी-नेहरू नगर (पूर्व) प्लाट नं.-52, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे स्कूल दाखिला पंजीयन रजिस्टर में मेरा नाम घासी राम आ. चतुरभुज साहू दर्ज है, जबकि मुझे बचपन से घरेलू नाम काशी राम साहू आ. चतुरभुज साहू के नाम से पुकारे जाने के कारण मेरा नाम शासकीय व पटवारी अभिलेख में काशी राम साहू दर्ज हो गया है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम काशी राम साहू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे काशी राम साहू आत्मज स्व. चतुरभुज साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

घासी राम साहू
पिता स्व. चतुरभुज साहू
निवासी-नेहरू नगर, 52 (पूर्व)
कामर्शियल काम्पलेक्स, भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

काशी राम साहू
पिता स्व. चतुरभुज साहू
निवासी-नेहरू नगर, 52 (पूर्व)
कामर्शियल काम्पलेक्स, भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, साधराम साहू पिता स्व. बतिराम साहू, उम्र 43 वर्ष, निवासी-कैलाश नगर चांपा, तहसील चांपा, जिला जांजगीर-चांपा (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं ट्रेकमेन्टनर ग्रेड III के पद पर SSE (P. Way) चांपा, दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे के दफ्तर में पदस्थ हूं. मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड में मेरा सही नाम साधराम साहू पिता बतिराम साहू दर्ज है तथा मेरे रेल्वे के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश साधराम पिता जागेश्वर यादव दर्ज हो गया है. मैं अपने नाम के साथ पिता का नाम परिवर्तित कर नया नाम साधराम साहू पिता स्व. बतिराम साहू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे साधराम साहू पिता स्व. बतिराम साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

साधराम
पिता जागेश्वर यादव
निवासी-SSE (P. Way) द. पू. मध्य रेल्वे, चांपा
रेल्वे कालोनी, कैलाश नगर, चांपा
जिला जांजगीर-चांपा (छ. ग.)

नया नाम

साधराम साहू
पिता स्व. बतिराम साहू
निवासी-SSE (P. Way) द. पू. मध्य रेल्वे, चांपा
रेल्वे कालोनी, कैलाश नगर, चांपा
जिला जांजगीर-चांपा (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रामप्रसाद साहू पिता स्व. कन्हैया लाल साहू, उम्र 36 वर्ष, निवासी-कैलाश नगर, चांपा, तहसील चांपा, जिला जांजगीर-चांपा (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं ट्रेकमेन्टनर ग्रेड III के पद पर SSE (P. Way), चांपा, दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे के दफ्तर में पदस्थ हूं. मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड में मेरा सही नाम रामप्रसाद साहू पिता कन्हैया लाल साहू दर्ज है तथा मेरे रेल्वे के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश रामप्रसाद पिता सुकृत दास दर्ज हो गया है. मैं अपने नाम के साथ पिता का नाम परिवर्तित कर नया नाम रामप्रसाद साहू पिता स्व. कन्हैया लाल साहू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे रामप्रसाद साहू पिता स्व. कन्हैया लाल साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
रामप्रसाद पिता-सुकृत दास निवासी-SSE (P. way) द. पू. मध्य रेल्वे, चांपा रेल्वे कालोनी, कैलाश नगर, चांपा जिला जांजगीर-चांपा (छ. ग.)	रामप्रसाद साहू पिता-स्व. कन्हैया लाल साहू निवासी-SSE (P. way) द. पू. मध्य रेल्वे, चांपा रेल्वे कालोनी, कैलाश नगर, चांपा जिला जांजगीर-चांपा (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मनीष कुमार मेश्राम पिता स्व. मुकुन्द राव मेश्राम, जाति महार, उम्र 35 वर्ष, निवासी-इंदिरा नगर, वार्ड नं. 05, डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे दसवीं एवं बारहवीं तथा कालेज की अंकसूची में मेरा नाम मनीष कुमार पिता मुकुन्द राव दर्ज है लेकिन मेरे आधार कार्ड, बैंक पास बुक, पैन कार्ड में मेरा नाम मनीष कुमार मेश्राम पिता मुकुन्द राव मेश्राम दर्ज है. मैं अपने नाम के साथ उपनाम " मेश्राम " जोड़कर नया नाम मनीष कुमार मेश्राम रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे मनीष कुमार मेश्राम पिता मुकुन्द राव मेश्राम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
मनीष कुमार पिता-स्व. श्री मुकुन्द राव निवासी-इंदिरा नगर, वार्ड नं. 05, डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ. ग.) पिन: 491445	मनीष कुमार मेश्राम पिता-स्व. श्री मुकुन्द राव मेश्राम निवासी-इंदिरा नगर, वार्ड नं. 05, डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ. ग.) पिन: 491445

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मोहम्मद वसीम निजामी (MD. Vasim Nizami) पिता श्री मोहम्मद ताजुद्दीन निजामी, उम्र 28 वर्ष, निवासी-ताज स्पे पेंटिंग, वार्ड नं. 6, पं. नेहरू भवन मार्ग, शंकर पारा सुपेला भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम मोहम्मद वसीम निगामी पिता श्री मोहम्मद ताजुद्दीन निजामी दर्ज हो गया है. मैं अपने सरनेम " निगामी" को परिवर्तित कर नया नाम मोहम्मद वसीम निजामी रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे मोहम्मद वसीम निजामी पिता श्री मोहम्मद ताजुद्दीन निजामी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

मोहम्मद वसीम निगामी
(MD. Vasim Nigami)
पिता मोहम्मद ताजुद्दीन निजामी
निवासी-ताज स्पे पेंटिंग, वार्ड नं. 6, पं. नेहरू रोड,
सुभाष चौक, सुपेला भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

मोहम्मद वसीम निजामी
(MD. Vasim Nizami)
पिता मोहम्मद ताजुद्दीन निजामी
निवासी-ताज स्पे पेंटिंग, वार्ड नं. 6, पं. नेहरू रोड,
सुभाष चौक, सुपेला भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रदीप कुमार पिता श्री भीखम लाल साहू, उम्र 26 वर्ष, निवासी-म. नं. 279, नायकबांधा रोड, खेमराज सॉ मिल के पास, अभनपुर, तहसील अभनपुर, जिला रायपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे दसवीं व 12वीं की अंकसूची में मेरा नाम प्रदीप कुमार पिता श्री भीखम लाल साहू अंकित है तथा कालेज के बी. ई की अंकसूची, डिग्री, मूल निवास व जाति प्रमाण पत्र में मेरा नाम प्रदीप कुमार साहू पिता श्री भीखम लाल साहू दर्ज है तथा पेनकार्ड में मेरा नाम प्रदीप साहू पिता श्री भीखम लाल साहू दर्ज है. उपरोक्त तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं अर्थात् स्वयं प्रदीप कुमार पिता श्री भीखम लाल साहू के हैं. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम प्रदीप कुमार रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे प्रदीप कुमार पिता श्री भीखम लाल साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

प्रदीप कुमार साहू
प्रदीप साहू
पिता श्री भीखम लाल साहू
निवासी-म. नं. 279, नायकबांधा रोड,
खेमराज सॉ मिल के पास, अभनपुर,
थाना व तहसील अभनपुर, जिला रायपुर (छ. ग.)

नया नाम

प्रदीप कुमार
पिता श्री भीखम लाल साहू
निवासी-म. नं. 279, नायकबांधा रोड,
खेमराज सॉ मिल के पास, अभनपुर,
थाना व तहसील अभनपुर, जिला रायपुर (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सुन्दर लाल देवांगन आत्मज स्व. प्रभू राम देवांगन, उम्र 58 वर्ष, निवासी-संतोषी चौक, जामुल, जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे शैक्षणिक रिकार्ड एवं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के सर्विस दस्तावेज में मेरा नाम सुन्दर लाल दर्ज है तथा मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक रिकार्ड में मेरा नाम सुन्दर लाल देवांगन दर्ज है. मैं अपने नाम के साथ सरनेम "देवांगन" जोड़कर नया नाम सुन्दर लाल देवांगन रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे सुन्दर लाल देवांगन पिता स्व. प्रभू राम देवांगन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
सुन्दर लाल (Sunder Lal) पिता प्रभू राम देवांगन निवासी-संतोषी चौक, जामुल, जिला दुर्ग (छ. ग.)	सुन्दर लाल देवांगन (Sunder Lal Dewangan) पिता प्रभू राम देवांगन निवासी-संतोषी चौक, जामुल, जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती अनुपा देवांगन पिता श्री गुहाराम (पति श्री लच्छीराम देवांगन) जाति कोष्टा, निवासी-शंकर नगर, "हीरालाल फर्नीचर" के पास, वार्ड नं. 10, म. नं. 312, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.), कृषक ग्राम, ग्राम व पो. बोरी, तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे नाम एवं स्वामित्व में कृषि भूमि कुल ख. नं. 4, कुल रकबा 1.43 एकड़, ग्राम बोरी, प. ह. नं. 29/36, रा. नि. मं., तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.) में स्थित है. उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड एवं ऋण पुस्तिका में मेरा नाम त्रुटिवश गोपा बाई दर्ज हो गया है. मेरा वास्तविक नाम अनुपा देवांगन है तथा यही नाम मेरे अन्य रिकार्ड एवं दस्तावेजों में दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम अनुपा देवांगन रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती अनुपा देवांगन पिता स्व. श्री गुहाराम देवांगन (पति श्री लच्छीराम देवांगन) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
गोपा बाई देवांगन पिता स्व. श्री गुहाराम देवांगन पति श्री लच्छीराम देवांगन निवासी-हीरालाल फर्नीचर के पास, वार्ड नं. 10, म. नं. 312, शंकर नगर, दुर्ग (छ. ग.)	श्रीमती अनुपा देवांगन पिता स्व. श्री गुहाराम देवांगन पति श्री लच्छीराम देवांगन निवासी-हीरालाल फर्नीचर के पास, वार्ड नं. 10, म. नं. 312, शंकर नगर, दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक लोक न्यास सूरजपुर, जिला सूरजपुर (छ. ग.)

सूरजपुर, दिनांक 1 अगस्त 2016

प्रारूप (5)

[नियम 5 (1) देखिये]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) तथा छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 का उप नियम (1) देखिये]

विविध/रा. प्र. क्र. 43 बी 121/15-16

क्रमांक 4797/2016.— चूंकि मुख्य प्रबंध ट्रस्टी श्रीकांत मिश्र पिता राजाराम मिश्र निवासी कुम्दा कालोनी विश्रामपुर तहसील एवं जिला सुरजपुर ने छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 31-8-16 को विचार के लिये लिया जायेगा. कोई व्यक्ति जो उक्त न्याय या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में जो आपत्तियॉ करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और गठन करती है.

अत: मैं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक लोक न्यास सूरजपुर का लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 31-8-16 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जॉच करना प्रस्तावित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन मेरे समक्ष प्रस्तुत करना और मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम व पता	:	"गायत्री परिवार ट्रस्ट कुरूवॉ" तहसील सूरजपुर जिला सूरजपुर
(2)	चल संपत्ति	:	12,000/- रु. नगद (बैंक खाता में जमा)
(3)	अचल संपत्ति	:	ग्राम कुरूवॉ प. ह. नं. 25 तहसील सूरजपुर स्थित भूमि ख. नं. 2734/2 रकबा 0.05 आरे.

विजेन्द्र सिंह पाटले,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा).

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उ. ब. कांकेर (छ. ग.)

कांकेर 10 अगस्त 2016

[छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-18 के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंका/परिसमापन/निरस्तीकरण/2015/635.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/उपंका/परिसमापन/2009/682 कांकेर दिनांक 30-10-2009 के द्वारा जिला वृक्ष सहकारी संघ मर्यादित कांकेर, पंजीयन क्रमांक 308 दिनांक 24-12-1991 को छ. ग. सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के तहत श्री आर. डी. कुल्हारा वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुचा हूं कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं दिलीप जायसवाल उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ. ग. सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 18 एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग रायपुर के अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-19/15-2/2012/03 दिनांक 04-05-2012 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियॉ जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त कर संस्था का निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 10-08-2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

दिलीप जायसवाल,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.